न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 103 / 2024

प्रार्थी

वीरमाराम पुत्र श्री देवाराम उम्र बालिंग, कौम जाट, निवासी चूंकिया, ग्राम पंचायत लोलावा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र आईदानराम,
2. मांगाराम पुत्र देवाराम, कौम जाट, निवासी चूंकिया, ग्राम पंचायत लोलावा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
3. नैनाराम पुत्र राजूराम,
4. धनाराम पुत्र राजूराम,
5. अनूदेवी पत्नी राजूराम, उम्र सभी बालिंग, कौम जाट निवासी तालबाणियो की ढाणी, ग्राम पंचायत तालबाणियो की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
6. हमीद पुत्र जाबर कौम मुसलमान, निवासी औरंगाबाद, ग्राम पंचायत तालबाणियो की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
7. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री. चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 09.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136 / 7 रकबा 2.0953

नायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

,क्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136/7 रकबा 2.0953 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136/7 रकबा 2.0953 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136/7 रकबा 2.0953 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136/7 रकबा 2.0953 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की [illegible] 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भू[illegible] सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें [illegible] स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड [illegible] हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:00 IST
Reason: SelfAttested

. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज ग्राम टूंकिया के खेत खसरा संख्या 136/1 रकबा 2.0963 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में लिखित नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:23:00 IST
Reason: SelfAttested